

पत्रिका - 778 दिनांक - 4.10.2023  
 जीवा - 3, सौ. नरेश मेहता, सौ. अश्विनी शारदा, दिनांक

अनुसूची 21 - पृष्ठ सं. 111

संपत्ति - अखबार - प्रमाण - पत्र  
 प्रमाण सं. - 54 - 10.23  
 आवेदन सं. - 26.09.2023

पूरी धीरे धीरे - गुजरात - सार्वजनिक - विभाग - के - द्वारा - प्रमाणित - किया - कि - निम्नलिखित - संवत् - के - सम्बन्ध - में - निम्नलिखित - संवत् - और - अवधारी - का - संबंध - प्रमाणित - किया - जाय - ।  
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रमाणित करीये गये संवत् - और - अवधारी - के - बारे - में - यही - है - और - उक्त - सम्बन्ध - अनुसूची - में - सां. 21-01-1993 - के - तहत - प्रमाणित - किया - जाय - ।  
 उक्त - संवत् - की - गरी - और - पेशी - तालाकी - के - बाद - निम्न - संवत् - और - अवधारी - का - पता - बला - :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन (ख) दस्तावेज का		पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रारंभिक प्रति विवरण		
		शी तारीख	प्रकार और मूल्य	निष्पादन	दावेदार	जिम्मे संख्या	वर्ष	पृ.
1.								


गो. जा. - श्यामजी अग्रवाल - 413 T.P. No. 254 Holdings -  
 - No. - 118 (1) 01000017830008 / word no - 16 -  
 - अमरकंटकी - 19/3398/1 रकम - 24930.3595145 -

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्श करें।
- (ख) 1. संपत्ति-पक्ष की पक्षा में, क्याम की दर की व भुगतान की अवधि दर्श करें। यह कि इनके बारे में जल्द हो।
- 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और लगान दर्श करें।

GEETANJALI ESTATE PVT. LTD.  
 Director


यै यह भी प्रभावित करता है कि धरणी संपत्तियों और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रयावय करनेवाले, किसी अन्य संभवहार और शयभाए का पता नहीं पला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

( हस्ताक्षर ) :- 

( पदनाम ) :- सिपिक

तलाशी की दरवापन और प्रमाण-पत्र की जांच निम्न व्यक्ति ने की


( हस्ताक्षर ) :- 

( पदनाम ) :- लेफ्टि

कार्यालय जिला निबंधन

घारोड कार्यालय देखा



निबंधन प्रशासिकारो का हस्ताक्षर  
  
21/10/2023


टिप्पणी (१)-इस प्रमाण-पत्र में जो संभवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रागुक्त संपत्ति विवरण के अनुसार दिये गये हैं । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वेसा दस्तावेजों से प्रमाणित संभवहार ( ट्रांस्क्रिप्शन ) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबंधन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति महिलाओं और अनुक्रमणियों (इंस्ट्रुमेंट) को प्रविष्टियां देखना चाहते हैं, अपना जो उनको प्रतिनिधि लेना चाहते हैं अपना जगह विचारित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को बहरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर महिलाओं और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी ।

(३) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्पष्ट तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भद्रकस सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(४) जोर पृ कि वर्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि इसके द्वारा दूरे गये गये संभवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूरे गये संभवहारों और अवधारों को छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है ।

GEETANJALI ESTATE PVT. LTD.

  
Director